इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, के सख्त निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 08/08/2017 को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों, प्राधिकरण भूमि पर अवैध कब्जे,भू–उपयोग के विपरीत एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही की गयी जो निम्नवत है–

1. झूॅसी में अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध की गयी कठोर कार्यवाही के कम में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0 यादव के नेतृत्व में त्रिवेणीपुरम आवास योजना के पास कटका में श्री योगेन्द्र सिंह एवं अन्य द्वारा की गयी लगभग 10 बीघे में फैली अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान अवर अभियन्ता श्री अनिल सिंह, श्री दिनेश पाण्डेय, श्री ए0के0सिंह एवं भवन निरीक्षक श्री कुँवर आनन्द व ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहे।
2. जोन 02 जोनल अधिकारी श्री जय राम मौर्या के नेतृत्व में आराजी संख्या 56 मौजा तुलसीपुर एवं मकान नं0 137 वी/02 जो प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि पर प्रस्तावित परिमल विहार बहुमंजिली आवासीय योजना के अंशभाग पर मु0 अतीक अहमद द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण/कब्जा को ध्वस्त कराते हुए प्राधिकरण की अध्याप्त भूमि को अवमुक्त कराया गया। उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री सुनील त्यागी व ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहे।
3. जोन 04 जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा नैनी क्षेत्र में तीन भवनों को सील कराया गया तथा एक मिष्ठान भण्डार (आवासीय स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उपयोग) से दो लांख रूपया शमन शुल्क जमाकराकर 10 दिन के अन्दर व्यवसायिक मानचित्र दाखिल करने हेतु समय दिया गया। उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त अवर अभियन्ता श्री रवीन्द्र शुक्ला तथा ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

08.08.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क